**प्रेस नोट 01- दिनांक 16.09.2024**

**थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव।**

# सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।।**

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 12.09.2024 को सोशल मीडिया पर थाना हसनगंज क्षेत्रांतर्गत निवासिनी एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0-218/24 धारा 75/76/196 बी0एन0एस0 व 67क आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.09.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त आदिल पुत्र फारूख निवासी महराजगंज थाना हसनगंज उन्नाव को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आदिल पुत्र फारूख नि0 महराजगंज थाना हसनगंज उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष

## गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्र0नि0 श्री चन्द्र कान्त मिश्र

उ0नि0 श्री अनिल कुमार साहू

हे0का0 रामपाल सिंह

**प्रेस नोट 02- दिनांक 16.09.2024**

**थाना दही, जनपद उन्नाव।**

# पत्रकार बनकर ट्रकों से वसूली करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा पत्रकार बनकर ट्रकों से वसूली करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

**संक्षिप्त विवरण-** दिनांक 15.09.2024 को वादी मुकदमा श्री जीबछ साहू पुत्र जीतन साहू निवासी PNC कैम्प गौड़ी मार्केट सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा इस बावत प्रा0 पत्र दिया कि सुफियान व उसके साथियो  द्वारा पुरवा मोड़ पर डायवर्जन के दौरान PNC कम्पनी की लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में जाने वाली गाड़ियों से अपने आप को पत्रकार बताते हुए अवैध पैसे व दारु की मांग करना नहीं देने पर न्यूज में छापने व गाड़ी नहीं निकलने देने की धमकी देना एँव अभी तक  सुफियान व उसके साथियो द्वारा 5000 रुपये व कुछ शराब की बोतल ले लेना और अब TV की भी मांग करना मांग न पूरी होने पर मृत्यु या घोर उपहति के भय मे डालने के  सम्बन्ध में दिया गया  । वादी मुकदमा  श्री जीबछ साहू की तहरीरी सूचना के आधार  पर थाना दही पर  मु0अ0सं0 208/2024 धारा 308(5)/351(3) BNS घटना स्थल पुरवा मोड़ दही चौकी थाना दही उन्नाव दिशा बनाम 1.सुफियान, 2.दो तीन साथी नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.09.2024 को थाना दही पुलिस द्वारा अभियुक्त सुफियान पुत्र सुलेमान नि0 464/70 न्यू बस्ती खजुरिया बाग थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र 22 वर्ष को केन्द्रीय विद्यालय दही के पास से गिरफ्तार किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सुफियान पुत्र सुलेमान नि0 464/70 न्यू बस्ती खजुरिया बाग थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र 22 वर्ष

## गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. .उ0नि0  अरविन्द कुमार सिंह
2 .हे0का0 राजेश कुमार यादव

**प्रेस नोट 03- दिनांक 16.09.2024**

**थाना मौरावां,जनपद उन्नाव।**

# अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाया गया अभियान, ड्रोन कैमरे से निगरानी कर 06 भट्ठियां व 08 कुंटल लहन किया गया नष्ट

**श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के निर्माण करने वाले स्थानों की ड्रोन कैमरे द्वारा नगरानी कर थाना मौरावां पुलिस व आबकारी टीम द्वारा 06 अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्ठियां व 08 कुंटल लहन को नष्ट किया गया।**

**संक्षिप्त विवरण-** अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये गए अभियान के तहत पुलिस द्वारा थाना मौरावां क्षेत्रांतर्गत विभिन्न ग्रामों मे ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी करते हुए अवैध शराब निर्माण के स्थलों का चिन्हांकन किया गया तत्पश्चात दिनांक 15.09.2024 को श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर श्री ऋषिकान्त शुक्ला के नेतृत्व मे श्री निशान्त सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–4 व श्री पुरुषोत्तम प्रसाद टण्डन क्षेत्र-3 सफीपुर मय आबकारी टीम के तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मौरावां उन्नाव मय पुलिस टीम के अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण की रोकथाम अभियान के अन्तर्गत ग्राम चित्ता खेड़ा, ग्राम असरेन्दा, ग्राम जनवारन खेड़ा, ग्राम गौरी मे दबिश दी गयी जहां 6 शराब बनाने की भट्ठियों को नष्ट किया गया तथा लगभग 8 कुन्टल लहन नष्ट की गयी ।